न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–06/2025

सुनीता देवी.....वादिनी

बनाम

बंधु पंडित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
04.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की तरफ से भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 18.12.2025 को दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर वादिनी द्वारा दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया। अभिलेख आज दिनांक 04.06.2026 को प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 वो 02 दिनांक 27.03.2025 को हाजिर हुए और ब्यान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दिए जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं0–03 दिनांक 18.06.2025 को हाजिर हुई और ब्यान तहरीरी हेतु समयावेदन दिए जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 जो इलाज कराने हेतु बाहर चले गए थे जिसके कारण अपना ब्यान तहरीरी ससमय नहीं दे पाई थी तो प्रतिवादी सं0–1, 2, 3 संयुक्त रूप से अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 01.09.2025 को दाखिल किये। प्रतिवादी सं0–03 का ब्यान तहरीरी समय–सीमा के अन्तर्गत है। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के द्वारा अपने तरफ से ब्यान तहरीरी दाखिल करने में जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी में हुए विलम्ब को माफ करते हुए ब्यान तहरीरी को ग्रहण करने की कृपा प्रदान किया जाए। वादिनी के द्वारा प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–06/2025

सुनीता देवी.....वादिनी

बनाम

बंधु पंडित एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **04.06.2026**	उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से एक आवेदन दिनांक 18.12.2025 को दाखिल किया गया तथा निवेदन किया गया कि विलम्ब को माफ करते हुए प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा करें। विधि का सुस्थापित नियम है कि किसी भी वाद का निष्पादन उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए, जिससे वाद का निष्पादन प्रभावी ढंग से किया जा सकें और वाद की बहुलता को रोका जा सकें। अतः न्यायहित प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 का आवेदन दिनांक 18.12.2025 को मो0–500/– रू0 हर्जे की राशि पर स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक 10.07.2026 को अग्रीम कार्रवाई वास्ते नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	